**प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा**

**(Written Statement on behalf of the defendant)**

न्यायालय.......

वाद नंबर ............ सन् ....

अ० ब० स० ............. वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............. प्रतिवादी

1. यह कि पैरा 1 का कथन स्वीकार नहीं है । वादी को इसका पक्का सबूत देना है।
2. यह कि पैरा 2 के कथन में वाद पत्र यहाँ तक स्वीकार्य है कि प्रतिवादी मनं० ....... की निचली मंजिल में एक भाग में किरायेदार रु० ............ मासिक दर पर रहा था शेष भाग अस्वीकार्य है । वादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह उपरोक्त मकान के असली मालिक हैं और उनके द्वारा परिशिष्ट A और B में सही विवरण दिया गया है जैसा कि वाद पत्र के अन्त में है। वास्तव में प्रतिवादी को वर्ष ............. में ............. द्वारा स्वीकार किया गया था चूँकि मृतक जिसने अपने आपको म० न० ............ का मालिक और जमींदार बताया था, प्रतिवादी द्वारा वर्ष ............ में किरायेदारी के अधिकार को समर्पित कर दिया था और श्री ............. मकान मालिक द्वारा समर्पण को स्वीकार कर लिया गया था, जो भाग प्रतिवादी की किरायेदारी में उस मकान का रह गया था उसकी सीमायें निम्न प्रकार है

पूर्व–किरायेदारी का भाग

पश्चिम-सड़क

उत्तर--म०नं०.

दक्षिण-गली

म०न० ............. की चार दीवारी .......निम्न प्रकार हैं

पूर्व-गली

पश्चिम–सड़क

उत्तर- म०नं०.

दक्षिण-गली।

1. यह कि पैरा 3 के बारे में कहना है कि आंगन जो कि प्रतिवादी की किरायेदाराम कि वादी द्वारा दर्शाया गया है गलत है। सही क्षेत्रफल ............. वर्ग फूट था ना कि ... वर्ग फुट जैसा कि दर्शाया गया है। कुल किरायेदारी वाला भाग जिसमें हाल आंगन आर सम्मिलित हे म०न०......... की निचली मंजिल में स्थित था ना कि कहीं और वादा का पैरा 3 में लगाया गया आरोप उक्त कथन के विपरीत है जो अस्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र के पैरा 4 का कथन स्वीकार नहीं है । किरायेदारी प्रारम्भ होन का द्वारा अपन पत्र दिनाक.......... द्वारा कुछ शर्ते लगाई गई थीं जो कि श्री............. मकान द्वारा स्वीकार करके पुष्ट की गई थी। किरायेदारी की एक शर्त यह थी कि कित्यदा 20 तेशुदा समय गुजरने के बाद छ: माह का नोटिस देने पर समाप्त की जा सकती थी।
3. यह कि वाद पत्र के पैरा 5 का कथन झूठा होने के कारण विशेष रूप से अस्वीकार है। वास्तव में प्रतिवादी कभी भी किराया भुगतान के मामले में अनियमित नहीं रहा बल्कि श्री। ............ और उसका परिवार प्रतिवादी द्वारा किराया भुगतान करने पर ही अपनी नित्य प्रति के खर्चों को करते थे और उसी पर आश्रित रहते थे। श्री ............ मकान मालिक कभी भी प्रतिवादी को किराया भुगतान में देरी करने का अवसर नहीं देता था। किराया भुगतान ............ तक का प्रतिवादी द्वारा पूर्णतया भी ............. को किया जा चुका है और उसके बाद प्रतिवादी की किरायेदारी समाप्त हो गई है। प्रतिवादी के अनुरोध पर ............ द्वारा प्रतिवादी की किरायेदारी वाले भाग को श्री ............ को उसी किराये पर रु० ............ मासिक दिनांक ............ से उठा दिया गया था जो कि उसी मंजिल में शेष भाग का रु० ............. मासिक का किरायदार था। ............. से श्री ............ नियमित रूप से म० न० ............ के सम्पूर्ण भाग का किराया रसीद प्राप्त करके करता आ रहा है। अत: बकाया की मांग और बेदखली का नोटिस निराधार है जो गैर कानूनी और अनुचित है। प्रतिवादी द्वारा अपने पत्र दिनांक ............ द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर दिया गया था और वास्तविक स्थिति से वादी के अधिवक्ता को अवगत करा दिया था। ............. के बाद से मकान मालिक और किरायेदार का सम्बन्ध वादी और प्रतिवादी के मध्य नहीं रहा था। वादी द्वारा यह झुठा और असार वाद प्रतिवादी को तंग करने के उद्देश्य से दायर किया गया है। किराये का भुगतान हो जाने और किरायेदारी समाप्त हो जाने के कारण किसी प्रकार के किराये के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिवादी की ओर किसी प्रकार का किराया अथवा अन्य प्रकार की कोई देनदारी वादी को देना शेष नहीं है। उक्त नोटिस में की गई माँग अनियमित और अनावश्यक थी और वादी को स्वयं पता था कि उसका परिपालन असम्भव और अनुचित था। वादी के आरोप इस रूप में कि प्रतिवादी को भुगतान में चूक करने वाला बताकर बेदखल किया जा सके बिल्कुल निराधार और झूठा है जो विशेष रूप से अस्वीकार है।
4. यह कि वाद पत्र का पैरा 6 का कथन इस सीमा तक स्वीकार है कि श्री............ मन० ............. की निचली मंजिल में शेष भाग का रु० ............ मासिक का किरायेदार था जो पहले श्री ............. की किरायेदारी में था ना कि श्री ............ की जेसा कि वादी द्वारा कथन किया गया है । दिनांक ............ से म०नं० को निचली मंजिल में फालतू भाग का कब्जा लिया जो कि प्रतिवादी की किरायेदारी में रु० ............ मासिक पर था जो कि उसके द्वारा श्री .......... के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जो कि उस समय मकान मालिक था। तभी से कुल किराया रु० ............ पूरे मकान का भुगतान किया जा रहा है जो कि कानूनी रूप से रसीद लेकर भगतान किया जाता है। वादी का यह कहना बिल्कुल असत्य है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी किरायेदारी के एक भाग को श्री ................ को पुन: किराये पर दे दिया गया है। वादी का यह आरोप विशेष रूप से अस्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र के पैरा 7 का कथन असत्य है जो प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार किया जाता है । प्रतिवादी द्वारा अपनी किरायेदारी के दौरान कोई गैर कानूनो निर्माण नहीं कराया गया अथवा ना ही कोई किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है जेसा कि आरोप लगाया गया है। यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी द्वारा किरायेदारी वाले भाग की दीवार को अपनी किरायेदारी के सयम खराब कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से मकान की कीमत अथवा उपयोगिता को ठेस पहुँचाई गई है।
6. यह कि वाद पत्र के पैरा 8 का कथन अस्वीकार है- वादी का प्रतिवादी पर कोई किराया वाजिब नहीं है। प्रतिवादी द्वारा अपनी किरायेदारी समर्पित करते समय और मकान खाली करते समय सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

.......... मकान का किराया ............ तक का न्यायालय के आदेश दिनांक निष्पादन वाद नं० के कार्यान्वयन में कुर्क किया गया था जो कि डिक्री धारक के प्रार्थना-पत्र के आधार पर निष्पादन उस आदेश की जानकारी परिपालन हेतु प्रतिवादी को भी दी गई थी जो कि अधिवक्ता श्री ............. द्वारा दी गई थी जो न्यायालय ............ द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था। इसलिए इसी आधार पर भुगतान प्रतिवादी द्वारा सीधे उस न्यायालय में उक्त डिक्री के ऐवज में किया गया था जो कि श्री ............ के विरुद्ध पारित की गई थी।

इस प्रकार प्रतिवादी की ओर भुगतान करने के लिए कुछ भी अवशेष नहीं है । इसलिए किराये की बकाया का भुगतान वादी को करने का प्रश्न ही नही उठता । प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में किया गया भुगतान श्री ............ के खाते में जमा करने की सूचना उसको दी गई थी जिसे उसने स्वीकार किया गया था।

1. . यह कि पैरा 9 का कधन स्वीकार नहीं है। कथित किराये की बकाया, बेदखली और अंतकालीन लाभ के आधार पर वाद के लिए कोई वाद हेतुक (Cause of action) उत्पन्न नहीं होता। कीमत के बारे में प्राक्थन और कोर्ट फीस के भुगतान सामान्य प्रक्रिया है जिसके उत्तर की आवश्यता नहीं।
2. यह कि वादी किसी प्रकार के अनुतोष का जो कि माँगे गये हैं प्रतिवादी के विरुद्ध पान का अधिकारी नहीं है और वाद हर्जे खचें के साथ खारिज होने लायक है।

**….... प्रतिवादी**

**सत्यापन**

सत्यापित-दिनांक ........... दिन ............ स्थान ........... पर किया जाता है कि पर 1 से 10 तक पेरा का कथन मेरी निजी जानकारी में सब सत्य और सही है ।

**स्थान ............ दिनांक .......... ........ शपथकर्ता**